

1.	विभाग	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
2.	योजना का नाम	मण्डी आवक-किसान उपहार योजना।
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी	किसी भी कृषक उत्पादक द्वारा अपना निर्दिष्ट उत्पाद नवीन मण्डी स्थल में बिक्री कर सम्बन्धित व्यापारी से 6 आर पर्चा प्राप्त कर खतौनी की छाया प्रति के साथ मण्डी समिति कार्यालय में जमा कर बेचे गये उत्पाद के मूल्य के आधार पर रू0 5000.00 के गुणांक पर एक की दर से कूपन प्राप्त किये जाते हैं, जिनका त्रैमासिक व छमाही बम्पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विजेता कृषकों को पम्पिंग सेट से लेकर ट्रैक्टर तक उपहार में दिये जाते हैं।
4.	पात्रता की अर्हता	किसी भी क्षेत्र का किसान जो अपना निर्दिष्ट मण्डी समिति स्थल में बिक्री करता है।
5.	आवेदन की प्रक्रिया	किसी भी क्षेत्र का किसान मण्डी स्थल में अपना उत्पाद बेचकर 6आर बाउचर प्राप्त करके अपनी खसरा खतौनी के साथ मण्डी समिति कार्यालय में जमा करके कूपन प्राप्त करता है।
6.	लिंक वेबसाईट	http://upmandiparishad.upsdc.gov.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक मण्डी परिषद से सम्पर्क किया जा सकता है।